

# कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेली (छ.ग.)

—: संशोधित कार्य विभाजन आदेश :-

क्रमांक क / एक-15-1 / 2017

मुंगेली, दिनांक 29 मार्च 2023

माननीय रजिस्ट्री के ज्ञापन क्र. 3210 / दो-6-2 / 2023 / चेकर बिलासपुर दिनांक 17 मार्च 2023 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 9322 / 2022 (एसएलपी क्रमांक 32448 / 2018 से उत्पन्न) गोहर मोहम्मद विरुद्ध यूपीएसआरटीसी व अन्य में दिये गये दिशा निर्देशों एवं मोटर यान संशोधन नियम 2022 के परिपेक्ष्य में पूर्व में प्रसारित कार्यविभाजन आदेश क्रमांक क / एक-15-1 / 2017 मुंगेली दिनांक 02 जनवरी 2023 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

- (1) अनुक्रमांक-1 के स्तम्भ क्रमांक-4 के सरल क्रमांक 26 के पश्चात् सरल क्रमांक 26(1) के रूप में निम्नांकित प्रतिस्थापित किया जाता है :-

“ मोटर दुर्घटना के परिणामस्वरूप उत्पन्न प्रकरण मुंगेली जिले के अंतर्गत समस्त थानों के द्वारा मोटर यान संशोधन नियम 2022 के अंतर्गत विवेचना अधिकारी द्वारा FAR, IAR एवं DAR मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, मुंगेली में प्रस्तुत किये जायेंगे । ”

सही /—  
(अरविन्द कुमार सिन्हा)  
जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
मुंगेली छ.ग.